Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 1979/00003 बअनवान राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली बनाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी ईडर गुजरात

प्रार्थना पत्र अंतर्गत अधिकतम भूमि सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06/08/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उप.। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि आदेशिका दिनांक 23.12.1980 के अनुसार संवत 2027 से 2030 की जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार गैर सायल द्वारा ग्राम बेडा में 150 बीघा भूमि धारण की जा रही थी। अधिकतम भूमि सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अनुसार गैर सायल दिनांक 01.01.1973 को 133 बीघा भूमि ही धारित करने का अधिकारी था जिससे न्यायालय द्वारा 15 बिघा भूमि सिंलिग सीमा से अधिक मानते हुये धारा 12 का नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात न्यायालय आदेशिका 07.11.1987 के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में मय सिंलिग कानून के तहत पत्रावली सं. 90/1976 सरकार बनाम अमरसिंह दिनांक 19.01.78 को निर्णीत हो जाने से प्रकरण चलने योग्य नही बताया तथा पूर्व निर्णित पत्रावली 90/76 संलग्न किये जाने के आदेश दिये गये। जो पत्रावली दिनांक 05.04.1994 से बहस के लिये लंबित रही तथा पश्चात गैर सायल राजस्थान प्रांत से बाहर निवास करने से उनके कायम मुकाम की सुचना के जरिये प्रकरण लंबित रहा। पत्रावली के संलग्न पूर्व निर्णित पत्रावली नही पाई जाने से प्रार्थी पैरोकार सरकार से प्रकरण में वर्तमान रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी तहसीलदार बाली ने न्यायालय आदेश की पालना में रिपोर्ट पेश की। प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्राम बेडा के खसरा नंबर गत 1346/1/1, 1352/1, 1354/1 के नये खसरा नंबर 3770, 3769, 3775 कुल रकबा 17.38 हैक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम माननीय न्यायालय अति कलेक्टर(सिंलीग) पाली के प्रकरण सं 162/94(नया कानून) बअनवान सरकार बनाम अमरसिंह में निर्णय दिनांक 24.05.1999 से इसी प्रकरण में वर्णित आराजी राजकीय घोषित की गई । जिसकी पालना में नामांतरकरण सं 530 स्वीकृत होकर भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज हो चुकी हैं। इस संबंध में प्रार्थी पैराकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संमर्थन में जमाबंदी संवत 2076 से 2079 ग्राम बेडा 2 की प्रति पेश की। जिसके अनुसार ग्राम बेडा 2 के हाल खसरा नं 3769/1 रकबा 0.33 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 3770 रकबा 6.99 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नं 3770/1 रकबा 7.00 हेक्टर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 3775 रकबा 3.06 हेक्टर किस्म बारानी दोयम, राजकीय सिवायचक दर्ज होने की पुष्टि स्वरूप पेश की। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि गैर सायल के विरूद्ध नये कानून के तहत प्रकरण सं. 162/94 बअनवान सरकार बनाम अमरसिंह माननीय अतिरिक्त कलेक्टर(सिलिंग) पाली के द्वारा निर्णीत किया जा चुका है तथा अपने निर्णय की पालना में नामांतरणकरण सं 530 दर्ज होकर भूमि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार दिनांक 24.05.1999 के निर्णय के पश्चात उक्त प्रकरण का लंबित रहना निरर्थक होते हुये भी पत्रावली को जारी रखना न्यायसंगत नही होने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner